

REGIONAL OFFICE

RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

SPL-2, 5th Phase, RIICO Ind. Area, Kishangarh Dist. Ajmer Email: rorpcb.kishangarh@gmail.com

RPCB/RO KSG/PUB-324/

Date: 31,07, 2023

M/s Brother Minerals Pvt. Ltd., R/o Ward No. 4, Pipada Bhawan, Pipli Chourah, Bijay Nagar, Ajmer.

> Sub .:- Public hearing for Environmental Clearance for Existing Garnet Mining project, Total Cluster Area 4.9954 Hectare, Proposed production capacity 139140 TPA (ROM), Village Sarwar, Tehsil Sarwar, District Ajmer applied by M/s Brother

Ref.:- Office of District Collector& District Magistrate, Ajmer letter no.12757 dated

Sir,

In reference to above please find enclosed a public notice to be published in one major National Daily news paper and one Regional vernacular Daily/official state language news paper in any case on or before 12/08/2023. The news paper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Rajeev Gandhi Seva Kendra, Sarwar, Tehsil Sarwar, District Ajmer at 11:00 AM on 11/09/2023 for the environmental clearance of your

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public

Yours sincerely,

(Deepak Tanwar) Environmental Engineer &Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

The Member Secretary (SEAC), Rajasthan State Pollution Control Board, 4, Instituional

The Additional District Collector & Magistrate (II), Collectorate Office, Ajmer in

Analyst Cum Programmer, Rajasthan State Pollution Control Board, Jhalana Doongari, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एसपीएल–2,पंचम चरण,रिको औद्योगिक क्षेत्र, किशनगढ़ (अजमेर)



राप्रनिम/क्षेका किश/पीयूबी-324/

दिनांक :

पर्यावरणीय स्वीकृति खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ब्रदर्स मिनरल्स प्रा0 लि0 खनन पटट्रा संख्या 63/2003 ग्राम सरवाड़ द्वारा गारनेट (अब्रेसिव) खनिज खनन परियोजना जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है:

क्र. स.	प्रोजेक्ट का नाम गैसर्स ब्रदर्स मिनरल्स प्रा0 लि0, खसरा संख्या 3680/39, 3680/40, 3680/32 एवं 3680/33	संख्या 63/2003	हैक्टेयर में 4.9954	स्तृत विवर ग्राम सरवाड़	खनिज का	संख्या 63/2003 ग्राम र से है: उत्पादन क्षमता टीपीए (आर.ओ.एम.) 139140
*	कुल खनन क्षेत्रफल ४.९९५४ हैक्टेयर	. कल खनन उन				

कुल खनन क्षेत्रफल 4.9954 हैक्टेयर, कुल खनन उत्पादन क्षमता 139140 टीपीए (आर.ओ.एम.), ग्राम सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर से संबन्धित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।

- और चूंकि मैसर्स ब्रदर्स मिनरल्स प्रा० लि० खनन पटटा संख्या 63/2003 ग्राम सरवाड़ ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 ओर एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के अनुसार समूह लोक सुनवाई हेतु आवश्यक है।
- उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों 3. में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:--
 - 1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर।
 - 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, राजस्थान, 04, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी,
 - 4. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला—अजमेर।
 - तहसील-सरवाड़, जिला-अजमेर।
 - राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर।

सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के पत्र क्रमांक कअ / सामान्य / 2023 / 12757 दिनांक 27.07.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 11/09/2023 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सरवाड़, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षैत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, जिला—अजमेर को भी दिये जा सकते है।

एवं क्षेत्रीय अधिकारी